

राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

कमांक: प. 5(3)मं.मं./2024-01493 पार्ट

जयपुर, दिनांक

आदेश

मा0 मुख्यमंत्री महोदय की अनुमति से वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 11.09.2018 के तहत राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा-58 के उपबन्धों में प्रयोज्यता में छूट संबंधी प्रकरणों के निस्तारण हेतु निम्नानुसार मंत्रिमण्डलीय उप समिति का गठन एतद्वारा किया जाता है:-

1 श्री जोगाराम पटेल, मा0 मंत्री, विधि एवं विधिक कार्य विभाग	संयोजक
2 श्री गजेन्द्र सिंह, मा0 मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	सदस्य
3 श्री कन्हैयालाल, मा0 मंत्री, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	सदस्य
4 श्री सुरेश सिंह रावत, मा0 मंत्री, जल संसाधन विभाग	सदस्य
5 श्री बाबूलाल खराड़ी, मा0 मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग	सदस्य
6 श्री हीरालाल नागर, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), ऊर्जा विभाग	सदस्य
7 डॉ0 मंजू बाघमार, मा0 राज्यमंत्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग	सदस्य

उक्त विषयक प्रकरणों को उप समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु संबंधित विभाग के प्रभारी सचिव, उप समिति के सदस्य सचिव होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(डॉ0 जोगा राम)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. अति0 मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री।
3. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, संबंधित मंत्रिगण/राज्यमंत्रिगण।
4. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव।
5. अति0 मुख्य सचिव, वित्त विभाग।
6. अति0 मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, समस्त विभाग।
7. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उपनिदेशक), सामान्य प्रशासन विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

शासन सचिव

Document certified by JOGA RAM
<JOGARAM@GMAIL.COM>
Digitally Signed by Joga Ram
Designation: Secretary To
Government
Date :22-11-2024 12:24:03